

अत्यावश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


एफ1(175)स्था/निकाशि/2011/ 476

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2011

सहायक निदेशक,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,
कालेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

विषय: अनुदानित महाविद्यालयों से राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य सेवा में आने वाले व्याख्याताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके सम्भाग में अनुदानित महाविद्यालयों से राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य सेवा में आने वाले व्याख्याता जो कि अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आपके सम्भाग के विभिन्न महाविद्यालयों में उपस्थिति दे रहे हैं, से उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में पॉच इच्छित महाविद्यालयों (जो महाविद्यालय ग्रामीण अथवा IV, III एवं II श्रेणी के नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित हैं) के क्रमवार नाम संलग्न प्रपत्र में प्राप्त कर, आपके स्तर पर संकलित कर तीन दिवस में निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें। उपरोक्त महाविद्यालयों में अवस्थित रिक्त स्थानों का उल्लेख कालेज शिक्षा के वेबसाईट पर उपलब्ध है। कृपया उक्त रिक्त पदों के आधार पर ही इच्छित स्थान का उल्लेख करें। उक्त सूचना email से Jdgia.cce@rajasthan.gov.in पर भी भिजवायें


(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रपत्र

- 1 नाम व्याख्याता :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 विषय :
- 4 जन्म तिथि :
- 5 अनुदानित महा. का नाम :
(जहां से आये हैं)
- 6 स्क्रीनिंग सूची का क्रमांक :
- 7 नियुक्ति हेतु इच्छित महा. के नाम : 1
(जो महाविद्यालय ग्रामीण 2
अथवा IV, III एवं II 3
श्रेणी के नगरपालिका क्षेत्र 4
में अवस्थित हैं) 5
- 8 विशेष विवरण :
(यदि कोई हो)

हस्ताक्षर व्याख्याता

हस्ताक्षर प्राचार्य
(जिसके अधीन अभिमुखीकरण कार्यक्रम के
अन्तर्गत उपस्थिति दी जा रही है)